

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 577]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 7441-445-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 दिसम्बर 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३५ सन् २०११

## मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०११

[ दिनांक २२ दिसम्बर, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ दिसम्बर, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा ६ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) में, अंक और शब्द "२५,००० रुपये" के स्थान पर, अंक और शब्द "२,५०,००० रुपये" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, अंक और शब्द "५०,००० रुपये" के स्थान पर, अंक और शब्द "१०,००,००० रुपये" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 7442-445-इक्कीस-अ (प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 35 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 35 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH CIVIL COURTS (AMENDMENT) ACT, 2011

[Received the assent of the Governor on the 22nd December 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23rd December, 2011.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Civil Courts (Amendment) Act, 2011.

Amendment of Section 6.

2. In Section 6 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), in sub-section (1),—

(i) in clause (a), for the word and figures "Rupees 25,000", the word and figures "Rupees 2,50,000" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the word and figures "Rupees 50,000", the word and figures "Rupees 10,00,000" shall be substituted.